समाचार–प्रकाशनार्थ :–

दिलीप नगर में नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण संपन्न

रतलाम 4 मार्च । मध्यम व गरीब वर्ग के नागरिकों के मांगलिक एवं सामाजिक कार्यो हेतु दिलीप नगर में विधायक व निगम निधि से निर्मित किये गये नवीन सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप ने जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रिय नागरिकों के साथ फीता काटकर किया।

इस अवसर लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य्य अतिथि विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने कहा कि दिलीप नगर व आपसपास के क्षेत्र में निवासरत गरीब व मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपने मांगलिक व सामाजिक कार्यो हेतु मंहगे मांगलिक भवन बुक नहीं करना पड़ेगा अब वे अपने ही क्षेत्र में निर्मित सांस्कृतिक भवन में अपने मांगलिक व अन्य कार्यक्रम पूर्ण कर सकेगें जिससे उन्हे आर्थिक बचत भी होगी। उन्होन कहा कि विधायक व निगम निधि 44.21 लाख की लागत से सांस्कृतिक भवन का निर्माण पूर्ण करा दिया गया ह अब इसे सहेजन की जिम्मेदारी क्षेत्रिय नागरिकों की है इस हेतु वे एक कमेटी गठित कर इसकी देखरेख करें।

इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर माननीय श्री काश्यप के अलावा सर्वश्री निर्मल कटारिया, अशोक जैन (लाला), जयवंत कोठारी, निलेश गांधी, कृष्ण कुमार सोनी, कन्हैयालाल राठौर, हेमन्त राहौरी, रमेश पांचाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी आदि का स्वागत क्षेत्रिय नागरिकों पुष्प गुच्छ व पुष्पहारों से किया। इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर माननीय श्री काश्यप को शाल–श्रीफल भेंटकर व साफा बांधकर सम्मान किया गयां

कार्यक्रम का संचालन श्री हेमन्त राहौरी ने किया व आभार श्री रमेश पांचाल ने माना।

आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का होगा घर–घर सर्वे

रतलाम 4 मार्च । आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राही जो आयुष्मान कार्ड से वंचित है उनके शत–प्रतिशत कार्ड बनाये जाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने विधायक सभागृह में बैठक लेकर घर–घर सर्वे किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि जिस तरह आप सभी ने कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य कर मानव जीवन को बचाया है इसी तरह शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड शत–प्रतिशत बनवाने का कार्य करें क्योकि यह कार्य भी मानव जीवन से जुड़ा है। शत–प्रतिशत कार्ड बनाये जाने हेतु घर–घर सर्वे करें ताकि शेष रहे पात्र हितग्राहियों के कार्ड निःशुल्क बनाये जाकर योजना का लाभ दिया जा सकें।

एसडीएम श्री शुक्ला ने कहा कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की योजना है इस हेतु यह कार्य पुरी निष्ठा व लगन से कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलायें। घर–घर सर्वे हेतु शेष रहे हितग्राहियों की वार्ड वार सूची उपलब्ध कराई जायेगी हितग्राहियों से बीएलओ व आंनवाड़ी कार्यकर्ता संपर्क कर कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर कार्ड बनवाने का कार्य करें।

इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पो. सिंह, उपयंत्री श्री बी.एल. चौधरी, श्री मनीष तिवारी, श्री ब्रजेश कुशवाह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री विनय चौहान, वार्ड दरोगा, बीएलओ तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी।

लोक अदालत में करो की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

12 मार्च शनिवार को लोक अदालत का आयोजन

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 04 मार्च । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– से अधिक तथा रूपये 50,000/– तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020–21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र

नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 4 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 4 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ–स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 4 मार्च । नगर में ऐसे भवन निर्माणकर्ता जो कि भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाकर अतिक्रमण करते है उन पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही कर सामग्री जब्त को जा रही है जिसके तहत 3 मार्च शुक्रवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सामनाथ झारिया के निर्देशानुसा 04 मार्च शुक्रवार को भरत राठौड़ मंगल मूर्ति, विष्णु जादव स्नेह नगर व बी.एल. मेहता एडव्होकेट स्टेशन रोड पर निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 1000–1000 की राशि का जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई।

अंकूर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 1295 पौधो का किया रोपण पौधा रोपण के फोटो अंकूर एप पर डाउनलोड किये

रतलाम 04 मार्च । प्राण वायु हेतु शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा चार दिवस में 1295 पौधो का रोपण नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में किया जाकर रोपे गये पौधो के फोटो को अंकूर एप पर डाउनलोड किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 4 मार्च शुक्रवार को बजरंग नगर, तिरूपति नगर, जिला शिक्षा केन्द्र, बोहरा बाखल सहित अन्य उद्यानों में शीशम, केशिया, गुड़हल, नीम, करंज, अमलतास, कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 80 पौधो का रोपण किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 6.87 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 04 मार्च । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 04 मार्च शुक्रवार को कुल राशि रूपये 6,87,962/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 04 मार्च शुक्रवार को संपत्तिकर कार्यालय से 178633, वसूली दल 230000 कुल 4086333, जलकर कार्यालय से 108810, वसूली दल 78030 कुल 186840 दुकान गुमटी किराया कार्यालय 9912, वसूली दल 56268 कुल 66180, स्पॉट फाईन 3000, लायसेंस 9295 इस तरह कुल राशि रूपये 6,87,962/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

कचरा व गंदगी करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना
सड़क पर गिट्टी गिराने पर ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त
ऋतुश्री पान भण्डार 24 घन्टे के लिए सील
जुर्माने के रूप में 15,000/– राशि वसूली

रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 04 मार्च शुक्रवार को 2 व्यक्तियों पर जुर्माना किया व 1 दुकान 24 घन्टे के लिए सील की गई। इसके अलावा रिजवान खान की ट्रेक्टर ट्रॉली क्रमांक एमपी 43 – 2353 में अधिक मात्रा में गिट्टी भरकर लाने व पैलेस रोड से नगर निगम तक सड़क पर गिट्टी गिराने पर ट्रेक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया।

निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा व गंदगी करने पर सूरजश्री साडो सेंटर चौमुखी पुल पर 10000, नवकार नमकीन गौशाला रोड पर 5000 का जुर्माना किया गया इसके अलावा कोर्ट तिराहे पर ऋतुश्री पान भण्डार को 24 घन्टे के लिए सील किया गया।

4 मार्च को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गील–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत

04 मार्च शुक्रवार को 1 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

04 मार्च शुक्रवार को डम्पर से 32445, ट्रेक्टर से 22840, मैजिक सूखा कचरा 32110, मैजिक गीला कचरा 14560 किलो इस तरह कुल 101955 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

12 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 6 व दोपहर की शिफ्ट में 6 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

04 मार्च शुक्रवार को वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में बरखा पिता सुरेश, अजय पिता विनोद, राजुबाई पति अर्जून, झोन क्रमांक 2 में सोमदीप पिता सुदेश, झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र पिता मनोहर, झोन क्रमांक 4 में अजय पिता रामलाल, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में मनोरमाबाई पति जगदीश, सुनिताबाई पति संजय, रवि पिता संजय, झोन क्रमांक 4 में रमेश पिता बाबुलाल, आनन्द पिता भागीरथ व राधाबाई पति ईश्वर इस तरह 12 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 04 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 205 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 04 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 04 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निदेशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड मं कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 04.03.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.